# निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

ई–मेलः– **missionhortiuk@gmail.com / dirudyanhorti@gmail.com**


पत्रांक 2674/ WINDS / 2024–25 दिनांकः देहरादूनः 26 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

1. **Director, Azista Industries Private Limited, 7, Magnet Corporate Park, Near Sola Flyover, S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad-380059**
2. **Director, Ingen Technologies Private Limited, Plot No. NPH-43, Keshavpuram, Awas Vikas-1, Kalyanpur, Kanpur – 202017.**
3. **Director, Obel Systems Pvt. Ltd., #7, Ground Floor, Jaya Mansion, Parklane, 16, S.D. Road, Secunderabad – 500003**
4. **Director, Skymet Weather Services Pvt. Ltd., Plot No 10 & 11, Prius Height, Sector 125, Noida – 201301.**

विषयः– **पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मौसम के आंकड़े प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध डाटा कम्पनियों से मौसम केन्द्र (AWS) एवं ARG स्थापना किये जाने हेतु सीमित निविदा के माध्यम से दरें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मौसम के आंकड़े प्राप्त करने हेतु मौसम केन्द्र (AWS) एवं ARG स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक E259026/7(2)/PMFBY-WINDS/2023-MNCFC(125903) दिनांक 21.03.2024 द्वारा WINDS Implementation Partner(s) के रूप में आपकी डाटाप्रदाता कम्पनी को सूचीबद्ध किया गया है।

शासनादेश संख्या 174218/XIII-3/23/01(03)/2002T.C. दिनांक 11.12.2023 द्वारा प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme-RWBCIS) को मौसम रबी 2025–26 तक लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। RWBCIS योजनान्तर्गत कृषकों की फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाली क्षति का आंकलन मौसम आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में पूर्व शासनादेशानुसार डाटा कम्पनियों द्वारा 118 मौसम केन्द्रों के माध्यम से मौसम के आंकड़े प्राप्त कर कृषकों की फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाली क्षति का आंकलन कर क्लेम का वितरण किया जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मौसम के आंकड़े प्राप्त करने हेतु मौसम केन्द्र (AWS) एवं ARG स्थापना किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2024 की अपरान्ह् 01:00 बजे तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में सीमित निविदा आमन्त्रित की जाती है, जिन्हें विभागीय गठित समिति द्वारा दिनांक 31.12.2024 को अपरान्ह् 02:00 बजे खोला जायेगा। सीमित निविदा की शर्तें एवं RFP विभागीय बैवसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं **(सुलभ सन्दर्भ हेतु सीमित निविदा की शर्तें एवं RFP संलग्न)**। 

क्रमशः– .....2.....

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मौसम के आंकड़े प्राप्त करने हेतु मौसम केन्द्र (AWS) एवं ARG स्थापना के लिए सीमित निविदा की शर्तों के अनुसार RFP के माध्यम से दरें निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा।

संलग्नकः– सीमित निविदा की शर्तें एवं RFP

भवदीया

(दीप्ति सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–

1. सहायक आयुक्त (क्रेडिट), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 237/WINDS/2024–25 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप्ति सिंह)
निदेशक